

2026:AHC-LKO:19718

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ**आपराधिक विविध अग्रिम जमानत याचिका अंतर्गत धारा 438 भा०दं०प्र०सं०****संख्या-1438 वर्ष 2022**

संगीता सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के ज़रिए एवं एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : संदीप कुमार पांडे, शीतला प्रसाद तिवारी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 23**माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती**

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

वर्तमान आवेदन धारा 438 भा०दं०प्र०सं०/482 भा०ना०सु०सं० के तहत दायर किया गया है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 348/2022 में अग्रिम जमानत की मांग की गई है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 307, 323, 504, 353 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध है, जो पुलिस स्टेशन- गोसाईगंज, जिला- सुल्तानपुर में पंजीकृत है।

इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने 02.09.2022 के आदेश के ज़रिए याचिकाकर्ता को अंतरिम आग्रिम जमानत देते हुए यह आदेश पारित किया है:-

"याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप कुमार पांडे और राज्य के विद्वान अपर शासकीय

अधिवक्ता श्री दिवाकर सिंह, को सुना और पत्रावली में मौजूद तथ्यों का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वर्तमान जमानत याचिका आवेदक संगीता सिंह की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत दायर की गई है, जिसमें पुलिस स्टेशन गोसाईगंज, जनपद-सुल्तानपुर में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 307, 323, 504, 353 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पंजीकृत अपराध संख्या 348 वर्ष 2022 में विचारण समाप्त होने तक अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है, जोकि अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. 14वें वित्त आयोग, सुल्तानपुर द्वारा आवेदक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज के आदेश दिनांक 02.08.2022 के पश्चात दायर है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष है और उसे गलत इरादे से वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस द्वारा आवेदक सहित 7 नामित व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई है। आगे यह भी कहा गया है कि पुलिस ने आवेदक संख्या 1 के साथ मारपीट की है और उसे 4 चोटें लगीं, जो दिनांक 2.7.2022 की मेडिकल जांच आख्या के अनुसार कठोर और कुंद वस्तु के कारण लगी थीं, चोटें 1- 2 दिन पुरानी थीं।

आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक को अब हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसने पहले किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी भी अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद कोई कारावास नहीं भुगता है। आगे तर्क दिया गया कि आवेदक जांच में भाग लेने के लिए तैयार है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।

कानून की यह स्थापित स्थिति है कि असाधारण विशेषाधिकार होने के कारण अग्रिम जमानत

केवल असाधारण मामलों में ही दी जानी चाहिए। किसी गंभीर अपराध में अग्रिम जमानत देने के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

लिए मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है, जहां अदालत का प्रथम दृष्टया मानना है कि आवेदक ने अपराध में झूठा फंसाया है और वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)-2020 एससीसी ऑनलाइन एससी98, मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करते हुए, अंतरिम अग्रिम जमानत देने का आधार बनता है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल कर सकते हैं।

प्रत्युत्तर हलफनामा, यदि कोई हो, उसके बाद एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जा सकता है।

23.9.2022 को सूचीबद्ध हो।

गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदिका संगीता सिंह को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में वर्तमान आवेदन की सुनवाई तक संबंधित पुलिस स्टेशन/न्यायालय के स्टेशन हाउस अधिकारी के समक्ष 25,000/- रुपये के निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निर्देश निम्नलिखित शर्तों के साथ दिया जाता है:-

(i) यदि जांच जारी है तो आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराएगी;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि ऐसे व्यक्ति को अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा और यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो उसे एस.एस.पी./एस.पी. संबंधित/संबंधित न्यायालय के समक्ष जमा करना होगा;

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iv) पक्षकार उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए ऐसे आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति, आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित, उक्त व्यक्ति के स्वप्रमाणित पहचान प्रमाण (अधिमानतः आधार कार्ड) के साथ दाखिल करेगी जिसमें उस मोबाइल नंबर का उल्लेख होगा जिससे उक्त आधार कार्ड जुड़ा हुआ है;

(v) संबंधित न्यायालय/प्राधिकरण/अधिकारी उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से आदेश की ऐसी कम्प्यूटरीकृत प्रति की प्रामाणिकता को सत्यापित करेगा और लिखित रूप में ऐसे सत्यापन की घोषणा करेगा।

यदि जांच चल रही है तो जांच अधिकारी जांच जारी रखेंगे और इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे। "

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निजी मुचलका और दो जमानतदार दाखिल करने के बाद अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उन्होंने जांच में विधिवत सहयोग किया है। उसने न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है। वह मुकदमे में सहयोग करने का वचन देती है और यदि उसे अग्रिम जमानत मिल जाती है, तो वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिए गए उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।

मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना और आरोप की प्रकृति पर विचार किए बिना और इस तथ्य पर कि आवेदक ने अदालत द्वारा दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, साथ ही आवेदक द्वारा दिए गए वचन के साथ कि वह मुकदमे में सहयोग करेगी, इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 02.09.2022 के आदेश के तहत दी गई अंतरिम सुरक्षा को **सुशीला अग्रवाल**

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)-2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 98, मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के मद्देनजर पूर्ण बनाया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

आदेश दिनांक- मार्च 18, 2026/आरती-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।